8

XXX-Part-21

1442/15
21/9/15

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्य प्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक 03/27/01/18164/15

यह प्रमाणित किया जाता है कि AAHAN UNIQUE EDUCATIONAL SOCIETY समिति जो 230/2 Gangliyakhedi, Mandleshwar Road, Mahu तहसील इन्दौर जिला इन्दौर में स्थित है, मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 21 Sep 2015 को पंजीयित की गई है।

दिनांक 21 Sep 2015

(संजय चिवण्डे)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें समितियों के रजिस्ट्रार
इन्दौर

कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवम् संस्थायें इन्दौर संभाग
★ इन्दौर ★

Jyoti Maheshwari
PRINCIPAL
SHIKSHA SHIKHAR SCHOOL
MHOW

Jyoti Maheshwari
PRINCIPAL

9

9

AR/1469/16
09.01.2017

र.जि. नं. ...

अतिरिक्त रजिस्ट्रार

प्रारूप क्रमांक 1
(देखिये नियम 3)
समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र

1.	सोसायटी का नाम AAHAN UNIQUE EDUCATIONAL SOCIETY होगा।
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक 230/2 Gangliyakhedi, Mandleshwar Road, Mahu 453441तहसील Indoreजिलाlndore मध्य प्रदेश में स्थित होगा। सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव)9830035460ईमेल आईडीclientit1001@gmail.com
3.	3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-
1	To Start and run or manage and maintain schools, With an object to provide sound pre-primary,primary,middle, Secondary, senior secondary, higher education and college to children by seeking recognition.
2	To arrange and manage the training in Typing, Short Hand, Computer, Fine Arts, crafts, Music Painting, Modeling,Dancing,Yoga, Physical education and in other professional training subjects.
3	To conduct research in education and other disciplines on the different Subjects relating to education.
4	To promote literacy, cultural and other social activities by Awareness programs, Adult Education Classes, Lectures, Essay Competitions, Exhibitions, Symposiums, Cultural programs, press conferences And Seminars,
5	To provide food, Cloths, medical aid, stationery, transportation, libraries, laboratories, reading rooms, hostels, play grounds,swimming pool and other possible facilities to the student and public.
6	To arrange and organize various kinds of Child Welfare Programs/Activities.
7	All the activities shall be Non-profitable and shall be done on 'No Profit- No Loss' basis.
4.	सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर संचालक परिषद समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है:-

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	Mrs.Jyoti	ShyamSundar Maheshwari	अध्यक्ष	230/2 Gangliyakhedi, Mandleshwar Road Mahu, Mahu, Indore, Madhya Pradesh	Businees
2	Ms.Stuti	Ashok Maheshwari	उपाध्यक्ष	230/2 Gangliyakhedi, Mandleshwar Road Mahu,	Service

Jyoti Maheshwari   Ashok   [signature]

				Mahu Indore, Madhya Pradesh	
3	Ashok	Nandlal Maheshwari	सचिव	230/2 Gangliyakhedi, Mandleshwar Road Mahu, Mahu Indore, Madhya Pradesh	Service
4	Dinesh	Shyamsundar Maheshwari	कोषाध्यक्ष	102 Simrol Road, Mahu, Mahu, Indore, Madhya Pradesh	Businees
5	Ankur	Ashok Maheshwari	सयुक्त सचिव	78 Ahilya NagarExt., Annapurna Road Indore, Indore, Indore, Madhya Pradesh	Professional
6	Kiran	Murlidhaar Modi	सदस्य	74 Chanakyapuri, Indore, Indore, Indore, Madhya Pradesh	
7	Mohd.Ashfawq	Mohd. Ishaq	सदस्य	332 C Main street, Mahu, Mahu, Indore, Madhya Pradesh	
8	Krishana Kumar	Rameshwarlal	सदस्य	14 steel Nagar, Mandsore, Mandsaur, Mandsaur, Madhya Pradesh	Businees

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है। हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/ पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	Mrs.Jyoti , ShyamSundar Maheshwari, 230/2 Gangliyakhedi, Mandleshwar Road Mahu, Mahu, Indore, Madhya Pradesh	Jyoti Maheshwari
2	Ms.Stuti Ashok Maheshwari, 230/2 Gangliyakhedi, Mandleshwar Road Mahu, Mahu, Indore, Madhya Pradesh	Stuti Maheshwari

Jyoti Maheshwari

Ashok

3	Ashok , Nandlal Maheshwari, 230/2 Gangliyakhedi, Mandleshwar Road Mahu, Mahu, Indore, Madhya Pradesh	
4	Dinesh , Shyamsundar Maheshwari, 102 Simrol Road, Mahu, Mahu, Indore, Madhya Pradesh	
5	Ankur , Ashok Maheshwari, 78 AhilyaNagarExt., Annapurna Road Indore, Indore, Indore, Madhya Pradesh	
6	Kiran , Murlidhaar Modi, 74 Chanakyapuri, Indore, Indore, Indore, Madhya Pradesh	
7	Mohd.Ashfawq , Mohd. Ishaq, 332 C Main street, Mahu, Mahu, Indore, Madhya Pradesh	
8	Krishana Kumar , Rameshwarlal, 14 steel Nagar, Mandsore, Mandsaur, Mandsaur, Madhya Pradesh	

...टी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करे

चालान क्रमांक

SBIN000615914750407201505486

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Voters Identity Card

पहचान पत्र का क्रमांक YRB024999367

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Voters Identity card

पते का क्रमांक YRB024999367

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

साक्षी:-

हस्ताक्षर :-

साक्षी का नाम :- Anand Jain

साक्षी का पिता/पति:- Basant ji Jain

पूर्ण पता :- 301 Morya Shree appartment 41 Shastri Nagar Indore

(डी.एस. सोलंकी)
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं, इन्दौर संभाग,
इन्दौर

PRINCIPAL

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AN 255556

प०क्र० 18164

21.09.2015

(बी.एस. सोलंकी)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ, इन्दौर संभाग,
इन्दौर

Jyoti Maheshwari

Jyoti Maheshwari

PRINCIPAL

.94

- JAN 2017

100/-

आशाना युनिक एज्युकेशनल सोसायटी
पता- 230/2, डोंगलियाखेड़ी, मण्डलेश्वर रोड
महू जिला इन्दौर
हस्ते- शुभम गुप्त
Lic- MP45N-2015-0024397

HITESH PALIWAL
Stamp Vendor
B-647, Sech. No. 71
INDORE (M.P.)

AR/1469/16
09-01-2017

	नियमावली
1.	सोसायटी का नाम AAHAN UNIQUE EDUCATIONAL SOCIETY होगा।
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक 230/2 Gangliyakhedi, Mandleshwar Road, Mahu 453441 तहसील इन्दौर जिला इन्दौर मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3.	सोसाइटी का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश
4.	3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-
1	To Start and run or manage and maintain schools. With an object to provide sound pre-primary,primary,middle, Secondary, senior secondary, higher education and college to children by seeking recognition.
2	To arrange and manage the training in Typing, Short Hand, Computer, Fine Arts, crafts, Music, Painting, Modeling,Dancing,Yoga, Physical education and in other professional training subjects.
3	To conduct research in education and other disciplines on the different Subjects relating to education.
4	To promote literacy, cultural and other social activities by Awareness programs, Adult Education Classes, Lectures, EssayCompetitions, Exhibitions, Symposiums, Cultural programs, press conferences And Seminars.
	To provide food, Cloths, medical aid, stationery, transportation, libraries, laboratories, reading rooms, hostels, play grounds,swimming pool and other possible facilities to the student and public.
	To arrange and organize various kinds of Child Welfare Programs/Activities.
	All the activities shall be Non-profitable and shall be done on 'No Profit- No Loss' basis.
	सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-
	(क) संरक्षक सदस्य: वह व्यक्ति जो रुपये 1000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किश्तों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।
	(ख) आजीवन सदस्य: वह व्यक्ति जो रुपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा।
	(ग) साधारण सदस्य: वह व्यक्ति जो रुपए 10/- प्रतिमाह या रुपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा।
	(घ) अवैतनिक सदस्य: सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग ले सकते हैं, परंतु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।
6.	सदस्यता की प्राप्ति-प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा, ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।
7.	सदस्यों की योग्यता- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:- 1 आयु 18 वर्ष से कम न हो। 2 भारतीय नागरिक हो। 3 समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो। 4 सदचरित्र हो तथा मधपान न करता हो।
8.	सदस्यता की समाप्ति- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी:- 1. मृत्यु हो जाने पर। 2. पागल हो जाने पर। 3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।

Jyoti Maheshwari हस्ताक्षर अध्यक्ष Jyoti Maheshwari | हस्ताक्षर सचिव Alok M | हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष

Jyoti Maheshwari
PRINCIPAL

4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर
जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:-
1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर
2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर।
3. वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

10. (अ) साधारण सभा- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।
(ब) प्रबंधकारिणी सभा- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।
(स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-
(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. प्रबंधकारिणी का गठन- नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।
(1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव -1,(6)सदस्य -3

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. प्रबंधककारिणी के अधिकार व कर्तव्य-
(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
(स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।
(ए) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।
(ऊ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंतरित नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर अध्यक्ष Jyoti Maheshwari | हस्ताक्षर सचिव AlokM | हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष

Jyoti Maheshwari
PRINCIPAL

15	**अध्यक्ष के अधिकार**- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।
16.	**उपाध्यक्ष के अधिकार**- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
17.	**सचिव(मंत्री) के अधिकार**- (क) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना। (ख) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। (ग) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना। (घ) सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।
18.	**संयुक्त सचिव के अधिकार**- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा
19.	**कोषाध्यक्ष के अधिकार**- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
20	बैंक खाता- सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जावेगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।
21	**संशोधन**- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।
22.	**विघटन**- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
23.	**सम्पत्ति**- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।

हस्ताक्षर अध्यक्ष Jyoti Maheshwari   हस्ताक्षर सचिव AGKM   हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष

पंजि. नं. 15164 दि. 16/5/15

Jyoti Maheshwari

9/1/17

(वी.एस. सोलंकी)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ, इन्दौर संभाग,
इन्दौर

PRINCIPAL

16

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AN 255557

18164

पं.क्र.0 21-9-15

(बी.एस. सोलंकी)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें, इन्दौर सम्भाग,
इन्दौर

Jyoti Maheshwari

Jyoti Maheshwari

PRINCIPAL
SHIKSHA SHIKHAR SCHOOL
MHOW

PRINCIPAL
SHIKSHA SHIKHAR SCHOOL
MHOW

745

- JAN 2017

100

जरिये युनिक एज्युकेशनल सोसायटी
पता- 20-30/ 230/2, गंगालियाखेड़ी
महू मण्डलेश्वर रोड, महू जिला इंदौर

हस्ते-सुमन

D. MP45AI- 2015-0024397

HITESH PALIWAL
Stamp Vendor
B-647, Sech. No. 71
INDORE (M.P.)